

कार्यालय-अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश लखनऊ।  
आदेशांक वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ /2018, लखनऊ, दिनांक 14 :मार्च- 2018,

--: आदेश:--

उत्तर प्रदेश वैट नियमावली 2008 के नियम 64(3) में निहित शक्तियों के अधीन माह  
मार्च-2018 का युगल पीठ गठन कार्यक्रम निम्नवत निर्गत किया जाता है :-

क्र०सं 01	बैठने का स्थान 02	कार्य आवंटन 03	कार्य- अवधि 04	युगल पीठ में सम्मिलित होने वाले सदस्य 05
1-	पीठ-झाँसी	पीठ-झाँसी	19.3.18 से 24.3.18	पीठ-झाँसी (न्याय0) पीठ-फैजाबाद (वि0)
2-	पीठ-1लखनऊ	पीठ-1, 2 व 3 लखनऊ	19.3.18	पीठ-1 लखनऊ (न्याय0) पीठ-2 लखनऊ (वि0)
3-	पीठ-1 मेरठ	पीठ-1 व 2 मेरठ	19.3.18 से 24.3.18	पीठ-1मेरठ (न्याय0) व पीठ-2 मेरठ (वि0)
4-	पीठ मुजफ्फरनगर	पीठ-मुजफ्फरनगर	19.3.18 से 24.3.18	पीठ-1नोयडा(न्याय0) व पीठ-मुजफ्फरनगर(वि0)
5-	पीठ-1वाराणसी	पीठ-2, 3, 4, 5 व 6 वाराणसी	19.3.18 से 24.3.18	पीठ-3वाराणसी(न्याय0) व पीठ-4 वाराणसी(वि0)

नोट: - पीठ गठन की अवधि में सम्बन्धित पीठ के पीठासीन अधिकारी अथवा नियमित प्रभारी सदस्य की अनुपलब्धता की स्थिति में युगल पीठ के नामित सदस्यों में से न्यायिक सदस्य सम्बन्धित पीठों के प्रभारी की हैसियत से विविध प्रकृति के कार्यों का भी निष्पादन करेंगे।

६०/ 14/3/18

(राजेन्द्र कुमार-IV)

एच0जे0एस0

अध्यक्ष, वाणिज्य कर अधिकरण,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन: वा0क0अधि0/यु0पी0ग0/ 439/2018, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-कमिश्नर, वाणिज्यकर, उत्तर प्रदेश लखनऊ।
- 2-मुन्सरिम/वरिष्ठ सहायक (यात्रा भत्ता/विवरण/कम्प्यूटर) मुख्यालय।
- 3-सम्बन्धित अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष/सचिव, द्वारा पीठासीन अधिकारी।

आज्ञा से,

प्रभारी निबन्धक,  
वाणिज्यकर अधिकरण  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।